

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 293 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
अपेक्स बैंक,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
3. प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य मंडीबोर्ड,
अटल नगर नवा रायपुर

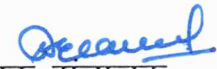
विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1399 तारांकित द्वारा डॉ. चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—000—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1399 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 19.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंडी लेबर चार्ज की दरें और भुगतान

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1399) डॉ. चरण दास महंत

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों पर मंडी लेबर चार्ज का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरें क्या-क्या हैं तथा कब से लागू हैं? इसका भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? क्या केन्द्र द्वारा इन दरों का निर्धारण राज्य की अनुशंसा पर किया जाता है? यदि हां तो वर्तमान दरों हेतु ऐसी अनुशंसा करने का निर्णय कब लिया गया था? वर्तमान में राज्य द्वारा अधिसूचित मंडी लेबर चार्ज की दरें क्या-क्या हैं? कब अधिसूचित हुई? (ख) क्या शासकीय धान खरीदी केंद्रों पर कृषकों द्वारा भी हमालों को किसी प्रकार का (यथा बोरा भराई आदि) भुगतान किया गया है? यदि हां तो किस प्रकार का तथा किन दरों से और क्यों? (ग) खरीदी केंद्रों पर मंडी लेबर चार्ज तथा उसका भुगतान करने के विषय में निर्देश कब-कब तथा क्या-क्या जारी किये गए? उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराएं? (घ) क्या धान खरीदी केन्द्रों पर हमालों को ऐसा भुगतान, जो खरीदी केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए, कृषकों द्वारा किया जाना प्रमाणित होने पर कृषकों को राशि लौटाई जाएगी तथा खरीदी केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?

Sent From : vidhan | Sent Date : 17/02/2026 02:08:50 |

Remark :

चरण दास
महंत
मेड